न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर
(जिला भीलवाड़ा राजस्थान)
राजस्व लोक अदालत-न्याय आपके द्वार 2018

पीठासीन अधिकारीः—राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बरः—25 / 2018 प्रार्थना पत्र

अनवान

1—झमकुदेवी पत्नि रामलाल तेली निवासी देवरिया तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थीया

बनाम

1—प्रतापदेवी पत्नि मोहनलाल तेली निवासी देवरिया तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट.

उपस्थित

1. हरीश टेलर— अधिवक्ता प्रार्थीया
2. मनीष दाधीच अधिवक्ता विपक्षीया

निर्णय

दिनांक 09.05.2018

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार / केम्प कोर्ट देवरिया मे पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम देवरिया पटवार हल्का देवरिया तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 252 रकबा 0.10 हे0, 253 रकबा 0.12 हे0, 254 रकबा 0.13 हे0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.35 है0 भूमि स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 तक मय नक्शा ट्रेस के साथ प्रस्तुत है।
प्रार्थीया की उक्त वर्णित आराजियात में संज, बैल, ट्रैक्टर, बैलगाडी, पैदल आदि सहित कदीमी रास्ता ग्राम देवरिया से हरिपुरा जाने वाले सरकारी रास्ते से होकर आगे इस सरकारी रास्ते के उत्तर में स्थित विपक्षी संख्या एक के खातेदारी की आराजी संख्या 255 की पश्चिमी पाली पर करीबन 15 फीट चौडाई में स्थित है। जिससे होकर प्रार्थीया अपनी आराजियात में संज, बैल, गाडी, ट्रैक्टर, पैदल आदि सहित आवागमन करती है और यही एक मात्र रास्ता प्रार्थीया के आवागमन के लिए मौके पर उपलब्ध है। इस रास्ते के अलावा प्रार्थीया की आराजियात में आवागमन करने का अन्य कोई रास्ता मौके पर नहीं है। एक मात्र यही रास्ता है। जिससे प्रार्थीया अपनी आराजियात में सन् 2009 से वक्त खरीद से लगातार निर्बाध एवं निरन्तर रूप से आवागमन कर रही है। जिसको विपक्षी संख्या एक ने आज दिन तक कभी नहीं रोका है तथा विपक्षी संख्या एक के पति मोहनलाल ने प्रार्थीया के पति रामलाल को 23.03.2009 को ही यह लिखापढी करके दी कि तुम इस भुमि में आवागमन हमारी आराजी संख्या 255 जो मेरी पत्नि प्रतापदेवी के नाम पर है से होकर करना इस आवागमन में हमें कोई आपत्ति नही हैं और इस लिखापढी से हमारे वारिसान भी पाबंद रहेंगें। जिससे भी साफ प्रमाणित है कि प्रार्थीया की भुमि में आवागमन का एक मात्र रास्ता प्रार्थना पत्र की कलम नम्बर दो में बताये अनुसार ही है। प्रमाण में छाया प्रति इकरारनामा साथ प्रस्तुत है। प्रार्थीया द्वारा बताया गया उक्त रास्ता प्रार्थीया के लिए सुविधाजनक उपयोग उपभोग के लिए नही है बल्कि प्रार्थीया की भुमि में आवागमन करने के लिए अत्यधिक आवश्यकता का रास्ता है तथा प्रार्थीया इसी रास्ते से होकर बेरोक टोक सदैव आवागमन कर रही है। किन्तु फिर भी दिनांक 12.01.2018 को प्रार्थीया व उसके परिवारजन अपने खेतों में आवागमन करने लगे तो विपक्षी संख्या एक व उसके परिवारजन ने मिल कर इस रास्ते पर थोहरो की बाड लगा कर रास्ते को अवरूद्ध कर दिया और कहा कि आज के बाद उक्त रास्ते से हम तुम्हें आवागमन नहीं करने देंगें और इस रास्ते से जबरदस्ती निकले तो ठीक नहीं होगा। प्रार्थीया ने परिवारजन को कह कर इसका आवश्यक राजस्व रेकार्ड निकलवाया तो इसमें रास्ता दर्ज नहीं है। दिनांक 12.04.2018 को प्रार्थीया इस रास्ते से आवागमन करने लगी तो विपक्षी संख्या एक ने धमकी दी कि राजस्व रेकार्ड में कोई रास्ता दर्ज नहीं है तो हम तुम्हें यहां रास्ता बना कर नहीं निकलने देगें। जिससे प्रार्थीया को यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने हेतु विवश होना पड़ा है और रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाया जाना

आवश्यक हो गया है। प्रार्थीया नियमानुसार डीएलसी दर से राशि जमा कराने को तैयार है। बिनाया प्रार्थनापत्र दिनांक 12.01.2018 एवं 12.04.2018 से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है और यह प्रार्थनापत्र अन्दर अवधि सादर प्रस्तुत है। विपक्षी संख्या एक द्वारा उसकी भूमि में निकल रहे रास्ते को बन्द कर देने से एवं जो रास्ता प्रार्थीया को दिलाया जाना है वह विपक्षी संख्या एक के खातेदारी में दर्ज होने से एवं विपक्षी संख्या दो लैण्ड होल्डर होने से आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाये गये हैं।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 24.04.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या एक एवं दो उपस्थित है। विपक्षी संख्या एक की ओर से अधिकार पत्र मनीष दाधीच एडवोकेट का पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी संख्या दो तहसीलदार रायपुर द्वारा मौका रिपोर्ट पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। विपक्षी के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थनापत्र मौका रिपोर्ट पुनः तहसीलदार जी से मंगवाने बातत् पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थीया एवं विपक्षीया प्रतापदेवी द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। राजीनामा के अनुसार प्रार्थीया आराजी नंम्बर 255 में पश्चिम की मैर की तरफ (4*38) = 152 वर्गमीटर भूमि रास्ते के रूप में विपक्षी प्रताप देवी से ले रही हुं इसकी एवज में मेरी खातेदारी आराजी नम्बर 252, 253, 254 के दक्षिणी ओर आराजी नम्बर 255 की तरफ (90*1.71) वर्गमीटर = 153 वर्गमीटर भूमि विपक्षी को दे रही हूं तथा आराजी नम्बर 255 में प्रस्तावित रास्ते जमीन के अन्दर जो पाइप लाइन है उसके संबंध में प्रार्थीया कभी उजर/अवरोध नहीं करूंगी। इस इस कदर राजीनामे का राजस्व रेकार्ड में अंकन कराना फरमावे।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा राजीनामा के अनुसार प्रार्थीया आराजी नंम्बर 255 में पश्चिम की मैर की तरफ (4*38) = 152 वर्गमीटर भूमि रास्ते के रूप में विपक्षी प्रताप देवी से ले रही हुं इसकी एवज में मेरी खातेदारी आराजी नम्बर 252, 253, 254 के दक्षिणी ओर आराजी नम्बर 255 की तरफ (90*1.71) वर्गमीटर = 153 वर्गमीटर भूमि विपक्षी को दे रही हूं तथा आराजी नम्बर 255 में प्रस्तावित रास्ते जमीन के अन्दर जो पाइप लाइन है उसके संबंध में प्रार्थीया कभी उजर/अवरोध नहीं करूंगी। इस कदर राजीनामे का राजस्व रेकार्ड में अंकन कराये जाने का आदेश दिया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध कराने मे सफल रहने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हुं। अतः

आदेश

ग्राम देवरिया तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे राजीनामा के अनुसार प्रार्थीया आराजी नंम्बर 255 में पश्चिम की मैर की तरफ (4*38) = 152 वर्गमीटर भूमि रास्ते के रूप में विपक्षी प्रताप देवी से लेने इसकी एवज में खातेदारी आराजी नम्बर 252, 253, 254 के दक्षिणी ओर आराजी नम्बर 255 की तरफ (90*1.71) वर्गमीटर = 153 वर्गमीटर भूमि विपक्षी को देने तथा आराजी नम्बर 255 में प्रस्तावित रास्ते जमीन के अन्दर जो पाइप लाइन है उसके संबंध में प्रार्थीया कभी उजर/अवरोध नहीं करने एवं राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गेमु0 रास्ता अंकन कराये जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर को दिया जाता है। प्रकरण में निर्णय गुणावगुण पर न होकर राजीनामा के अनुसार किया जा रहा है। राजीनामा निर्णय का भाग माना जायेगा।

राजलक्ष्मी गहलोत
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 06.06.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)